प्रेस विज्ञप्ति

29.11.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 28.11.2025 को पटवारी चमकौर लाल से संबंधित 2.76 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

ईडी ने सतर्कता ब्यूरो, पंजाब द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें 01.04.2017 से 31.03.2023 की जांच अवधि के दौरान उनकी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।

ईडी की जांच में पता चला कि पंजाब सरकार की डेरा बस्सी और खरड़ तहसीलों में पटवारी के पद पर कार्यरत चमकौर लाल ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों की वैध आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। जांच में यह पाया गया कि अपराध के आगमों को अचल और चल संपत्तियों की खरीद में निवेश किया गया था।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि पटवारी चमकौर लाल ने अवैध धन को अपने और अपने परिवार के सदस्यों के खातों में रिश्तेदारों और परिचितों से ऋण के रूप में छिपाकर भेजा, जिससे इन काले धन को वैध दिखाने का प्रयास किया गया। ईडी की जांच में यह पाया गया कि पटवारी चम्काउर लाल ने अपराध के आगमों से लगभग 2.76 करोड़ रुपये की आय अर्जित की थी, जो अनुसूचित अपराधों से जुड़ी थी।

आगे की जांच जारी है।